



राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/रिव्यू डीपीसी/वरि.सहा./2021-22/संस्था/बीमा/

दिनांक : 30-11-2022

आदेश 543

गैर अनुसूचित क्षेत्र में वरिष्ठ सहायक की वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 29.11.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर पे बैंड 5200-20200 (ग्रेड-पे. नं.10) (ग्रेड-पे-2800) (Level-08 in Pay Matrix) में पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्ग	चयन वर्ष	पद रिक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन
1.	श्री प्रिंस गहलोत	-	2021-22	01.04.2021	सिरोही	सिरोही

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(किशनाराम ईशरवाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

दिनांक : 30-11-2022

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/रिव्यू डीपीसी/वरि.सहा./2021-22/संस्था/बीमा/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 11/11/24

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. अति./संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर संभाग/जिला कार्यालय सिरोही को भेजकर लेख है कि उक्त पदोन्नत कार्मिक को कार्यग्रहण करवाया जाकर कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवायें।
5. सिस्टम एनालिस्ट/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
6. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
7. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
8. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(सौम्या शर्मा)
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)